

कार्यालय: नजारा, सिविल जज (जू0डि0) हैदराबाद, न्यायालय संख्या-24, बाराबंकी।

इशतहार नीलामी मुनादी सरकारी स्वीपर से करायी जाये

इशतहार नीलामी ठेका वर्ष-2026-27

सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदयों के आदेश दिनांक 04.04.2026 के अनुपालन में न्यायालय परिसर हैदराबाद में निम्नलिखित ठेकों की नीलामी दिनांक 30.04.2026 को न्यायालय कक्ष के सामने बरामदे में अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में अपराह्न दो बजे से कमवार सम्पन्न होगी:-

- 1- ठेका दुकान नम्बर 2 (चाय, मीठा, नमकीन) मेन गेट के पास, क्षेत्र-10X15 फिट।
- 2- ठेका दुकान नम्बर 1 (फोटोकापी) मेन गेट के पास, क्षेत्र-10X10 फिट। दुकान चाय, मीठा, नमकीन के बगल में।
- 3- ठेका साइकिल (वाहन) स्टैंड, क्षेत्र-30X30 फिट।

शर्तें

- 1- ठेके की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम राशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू दिनांक 29.04.2026 तक नजारा में जमा करनी होगी।
- 2- नीलामी बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 3- ठेका अवधि स्वीकृति की तिथि से 31.03.2027 तक होगी।
- 4- तिमाही किश्त अदा करनी होगी, पहली किश्त बोली स्वीकृत होने के उपरान्त, व्यवसाय करने से पूर्व तथा इसी कम में अन्तिम किश्त माह मार्च 2027 के पूर्व अनुपातिक रूप में देय होगी।
- 5- ठेकेदार को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद जमा करना होगा।
- 6- व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेंगे।
- 7- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की बोली/ ठेका बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
- 8- निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी से जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल-अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा, शेष जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9- ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी और समस्त प्रयोग की जाने वाली वस्तुये स्वच्छ रखना होगा।
- 10- ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिये अस्थायी निर्माण अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थायी निर्माण को ठेकेदार को अपने व्यय पर हटाना होगा।
- 11- ठेकेदार के ठेका पर नगर पंचायत द्वारा यदि कोई कर अधिरोपित किया जाता है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार पर होगा।
- 12- ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा जो बाजार की दरों के अनुरूप होगा।
- 13- ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का ठेके की अवधि में किसी प्रकार का उल्लंघन किया जायेगा तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 14- उपरोक्त दुकानों के ठेके की न्यूनतम राशि निम्नवत् है:-

1- ठेका दुकान नम्बर 2 (चाय, मीठा, नमकीन)

रु.13640.00

2- ठेका दुकान नम्बर 1 (फोटोकापी)

रु.9570.00

3- ठेका साइकिल (वाहन) स्टैंड

रु.22000.00

दिनांक: 17.04.2026

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सिविल जज (जू0डि0) हैदराबाद,
कोर्ट नं0-24, बाराबंकी।

उप नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त इशतहार के जन साधारण में प्रचार प्रसार हेतु इसकी प्रतियां न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड एवं तहसील हैदराबाद के सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार सहज दृश्य स्थलों पर चस्पा की जाये।

निविदा प्रारम्भ होने की तिथि- 20.04.2026

निविदा समाप्ति की तिथि- 29.04.2026

Contact Person: Shri Dinesh Kumar, Deputy Nazir,
Civil Court, Haidergarh, Barabanki.

Mobile No.: 9559089765

Email ID: dcbr1@allahabadhighcourt.in

दिनांक: 17.04.2026

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

सिविल जज (जू0डि0) हैदराबाद,
कोर्ट नं0-24, बाराबंकी।